न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 4 / 2018 (अवमानना प्रार्थना पत्र)

1. प्रीतीश सुखवाल पिता रामेश्वरलाल जी सुखवाल, निवासी 66, कालका माता रोड़, उदयपुर (राज.)
2. सरफराज अली पिता रहमत अली मुसलमान, निवासी 119, गांधी नगर पहाड़ा, उदयपुर (राज.)
3. शौकत खां पिता मामूर खां जी मुसलमान, निवासी 222, भैरूजी कॉलोनी, खेमपुरा, सुन्दरवास, उदयपुर (राज.)

..... प्रार्थीगण / याचीगण

बनाम

1. गणेशलाल पिता प्रताप जी नाई, निवासी बिछड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. रोशनलाल प्रताप जी नाई, निवासी बिछड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती अंसीबाई बेवा प्रताप जी नाई, निवासी बिछड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. भूपेश खटीक तत्कालीन पटवारी, पटवार हल्का बिछड़ी, हाल पटवार हल्का मटून, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. अशोक चतुर्वेदी, रेवेन्यू इन्सपेक्टर, पटवार हल्का बिछड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
6. बाबूसिंह देवड़ा, सरपंच, ग्राम पंचायत बिछड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... विपक्षीगण

कन्टेम्पट ऑफ कोर्ट आदेश 39 नियम

2–ए सपठित धारा 151 जा.दी.

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक प्रार्थीगण / याचीगण

———::———

निर्णय **दिनांक 02–08–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में विपक्षी संख्या 1, 2 व अन्य द्वारा प्रार्थीगण व अन्य के विरूद्ध एक अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मौजा बिछड़ी की विवादित आराजियात कुल किता 34 रकबा 2.7300 हैक्टर एवं आराजी नंबर 1280 रकबा 0.4200 हैक्टर बाबत्

प्रस्तुत किया गया एवं निवेदन किया गया कि उक्त भूमियां प्रार्थीगण के दादा श्री शंकर पिता मोती की खातेदारी की होकर उनकी मृत्यु के पश्चात विपक्षीगण ने राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर अपने नाम करवा ली, जबकि विवादित भूमि में प्रार्थीगण का जन्म से ही हक अधिकार है। अधिनस्थ न्यायालय में उक्त प्रकरण 150/2010 दर्ज किया जाकर अपने निर्णय दिनांक 21–08–2012 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारिज कर दिया।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 21–08–2012 से रूष्ट होकर प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में अपील संख्या 33/2012 दिनांक 04–09–2012 को प्रस्तुत की गयी, जिसमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 04–09–2012 को ही प्रकरण में एकपक्षीय मौके व रेकार्ड की स्थिति दिनांक 15–10–2012 तक बनाये रखे जाने का अन्तरित स्थगन आदेश जारी किया गया एवं प्रतिलिपि तहसीलदार गिर्वा को पालनार्थ दी गयी।

अपीलान्ट द्वारा यह अवमानना याचिका अन्तरित स्थगन आदेश के विरूद्ध दिनांक 22–01–2018 को प्रस्तुत की गयी एवं निवेदन किया कि विवादित भूमियों बाबत् अन्तरित स्थगन आदेश भी खारिज नहीं हुआ है तथा उक्त अन्तरित स्थगन आदेश विपक्षी संख्या 1 व 2 ने ही लिया था तथा उन्हें इस बात की जानकारी है कि वादग्रस्त जमीन के उपर स्थगन चल रहा है। वादग्रस्त जमीन का हिस्सा जो प्रताप जी के नाम दर्ज था एवं उनके देहावसान के बाद विपक्षी संख्या 1 से 3 व 4 से 6 ने मिलकर आप न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश के बावजूद भी दिनांक 08–08–2016 का नामान्तरकरण भरवा दिया एवं सरपंच से मिलकर प्रताप जी के बजाय नामान्तरकरण अपने नाम स्वीकृत करवा लिया। उक्त सारा कार्य आप न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश के बावजूद किया गया है जो आप न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 04–09–2012 की खुल अवमानना है। विपक्षी संख्या 1 से 3 चुस्त एवं चालाक आदमी है, जिससे स्थगन होने के बावजूद सरपंच से मिली भगत का नामान्तरकरण स्वीकृत करवा लिया है तथा विपक्षी 4 से 6 अपने पद का दुरूपयोग कर रहे हैं, जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। विपक्षीगण द्वारा कानून को तोड़ा–मरोड़ा जा रहा है। अतएवं विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 944 दिनांक 08–08–2016 निरस्त फरमाया

जावे एवं विपक्षी संख्या 1 से 3 का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जाकर उसकी सम्पत्ति कुर्क की जावे तथा सिविल कारावास से दण्डित किया जावे।

उक्त प्रकरण दर्ज होने के बाद विपक्षी संख्या 5 स्वयं उपस्थित हुए, परन्तु बाद में वे भी उपस्थित नहीं हुए। अन्य विपक्षीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। प्रकरण में इस न्यायालय की मूल पत्रावली संख्या 33/2012 भी तलब की गयी तथा अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा दस्तावेजात व मौखिक साक्ष्यों में सरफराज अली के शपथ पत्र का अवलोकन किया गया तथा याची द्वारा की गयी बहस पर मनन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा मूलता अपने पिता प्रताप जी नाई के नाम उनको विरासत से प्राप्त आराजियात में हिस्सा होने के कारण अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया था जो इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर दिनांक 04–09–2012 को अन्तरित स्थगन जारी किया गया। उक्त आदेश की आया कि हुक्म उदूली हुई अथवा नहीं इस पर इस न्यायालय द्वारा विवेचन किया जाकर यह निर्णय किया जाना है कि आया हुक्म उदूली होकर याचीगण वांछित दाद व अवमानना विरूद्ध विपक्षीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि एकतरफा अन्तरित स्थगन अंसीबाई के विरूद्ध जारी नहीं हुआ है। अंसीबाई नामान्तरकरण दर्ज होने के बाद प्रताप जी की विरासत से राजस्व रेकार्ड में प्रविष्ट हुई है। अतएवं अंसीबाई विपक्षी संख्या 3 को प्रथम दृष्टया इस प्रकरण में हुक्म उदूली का दोषी माने जाने का कोई आधार नहीं है। प्रकरण में याचीगण द्वारा पेश शुदा दस्तावेज से यह सुस्पष्ट है कि प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा अपने पिता प्रताप जी के नाम दर्ज सम्पत्तियों का उनके द्वारा विक्रय हस्तान्तरण नहीं करने व भूमियों में उनका हक होने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया था। प्रकरण में प्रदर्श 3 पेश शुदा नामान्तरकरण संख्या 944 से यह स्पष्ट होता है कि प्रताप जी की मृत्यु होने के बाद उनके वारिसान विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम नामान्तरकरण संख्या 944 दर्ज हुआ है तथा उक्त नामान्तरकरण के आधार पर जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 में खाता संख्या 236 में विपक्षी संख्या 1 से 3 प्रदर्श 4 अनुसार प्रविष्ट हुए हैं। उक्त नामान्तरकरण सरपंच द्वारा दिनांक 08–08–2016 को तस्दीक किया गया है। प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 04–09–2012 को विपक्षी संख्या 1 व

2 द्वारा स्वयं अपने पक्ष में इस आशय की अन्तरित अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की गयी थी कि उनके पिता भूमियों का विक्रय हस्तान्तरण नहीं किया जावे। अर्थात इस न्यायालय द्वारा अन्तरित स्थगन दिये जाने का उद्देश्य उक्त भूमियों में प्रार्थीगण हक अधिकार होने बाबत् विनिश्चयन करने तक उनके पिता द्वारा भूमियों का विक्रय करने से रोकने हेतु अन्तरित अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी थी। प्रकरण में प्रताप जी की मृत्यु होना एक संयोगिक स्थिति है तथा प्रताप की मृत्यु के बाद उसके स्थान पर उसके वारिसान का नाम राजस्व रेकार्ड में आना विधिक एवं सामान्य प्रक्रिया है। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 04–09–2012 को जारी अन्तरित स्थगन की मंशा यह कदापि नहीं है कि प्रार्थीगण उनके पिता की मृत्यु हो जाने पर विरासत का नामान्तरकरण अपने नाम नहीं खुलवाये। यह नामान्तरकरण जो खुलवाया गया है वह सिर्फ प्रताप जी की मृत्यु होने के कारण खुलवाया गया है जो कि विरासती नामान्तरकरण है। याचीगण का यह कथन कि इस न्यायालय द्वारा स्थगन जारी होने के बावजूद नामान्तरकरण खोला गया है जो न्यायालय की अवमानना है, परन्तु इस न्यायालय के अन्तरित स्थगन आदेश की यह मंशा कदापि नहीं थी खातेदार की मृत्यु पर विरासत का नामान्तरकरण नहीं खोला जाये। तद्नुसार जानबूझकर उक्त आदेश की अवमानना का प्रकरण नहीं बनता है, क्योंकि भूमि का विक्रय हस्तान्तरण विपक्षीगण द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि प्रताप की मृत्यु पर विरसती नामान्तरकरण विपक्षीगण के नाम खुला है, जिसे हम इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश की अवमानना नहीं पाते हैं तथा विपक्षीगण द्वारा जानबूझकर हुक्म उदूली किये जाने का प्रकरण नहीं पाते हैं। तद्नुसार यह अवमानना याचिका प्रमाणित नहीं होने से खारिज योग्य है।

अतएवं प्रार्थीगण/याचीगण द्वारा पेश शुदा अवमानना याचिका प्रार्थना पत्र प्रमाणित नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 02–08–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर